कार्यालय पुलिस उपायुक्त वरुणा जोन, पुलिस कमिश्नरेट वाराणसी

प्रेस नोट

दिनांक-23.02.2025

विषय:- जानलेवा हमला करने व लूट के मामले मे वांछित अभियुक्त अक्षय सिंह उर्फ मोंटी सिंह थाना रोहनिया पुलिस टीम द्वारा गिरफ्तार।

श्रीमान् पुलिस आयुक्त वाराणसी के अपराधों की रोकथाम एवं वांछित/फरार अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में, श्रीमान् पुलिस उपायुक्त वरुणा ज़ोन के निर्देशन मे, श्रीमान् अपर पुलिस उपायुक्त वरुणा ज़ोन के पर्यवेक्षण मे, श्रीमान् सहायक पुलिस आयुक्त रोहनिया के नेतृत्व में **"ऑपरेशन चक्रव्यूह"** के तहत मुखबिर की सूचना पर थाना रोहनिया पुलिस द्वारा मु0अ0सं0-048/2025 धारा 109/309(6)/351(2) बी0एन0एस0 थाना रोहनिया कमि0 वाराणसी से सम्बन्धित नामजद वांछित अभियुक्त अक्षय सिंह उर्फ मोंटी सिंह पुत्र राजकुमार सिंह निवासी ग्राम भदवर थाना रोहनिया जनपद वाराणसी को आज दिनांक-23.02.2025 को समय करीब 12.50 बजे मोहनसराय अखरी बाईपास हाईवे से ग्राम भदवर सड़क थाना रोहनिया कमि0 वाराणसी से गिरफ्तार किया गया। उक्त के सम्बन्ध में थाना रोहनिया पुलिस द्वारा आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

घटना का विवरण- दिनांक 17.02.2025 को वादी मुकदमा/प्रार्थी ने खुशीपुर भदवर थाना रोहनिया जनपद वाराणसी स्थित ढाबे पर दिनांक-16.02.2025 को रात करीब 10.20 बजे ढाबा के मालिक/संचालक से कुछ विवाद होने के बाद विपक्षीगण अक्षय सिंह उर्फ मोंटी सिंह, महेश सिंह, विशाल सिंह, अभिषेक सिंह व अन्य द्वारा मौके पर ढाबा संचालक व अन्य लोगों से मार-पीट करने, पैसे लूट लेने और विरोध करने पर प्राण घातक हमला करने के सम्बन्ध में लिखित प्रार्थना पत्र दिया, जिसके आधार पर थाना रोहनिया में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया, जिसकी विवेचना उ0नि0 राज दर्पण तिवारी द्वारा सम्पादित की जा रही है।

विवरण पूछताछ- अभियुक्त अक्षय सिंह उर्फ मोंटी सिंह ने पूछताछ करने पर बताया कि दिनांक-16.02.2025 को रात करीब 10.20 बजे मेरे परिवार का अभिषेक सिंह ढाबे पर गया था जहाँ उससे ढाबा के मालिक ने कुछ विवाद किया जिसके बाद मैं और मेरे साथ महेश सिंह, विशाल सिंह मौके पर गये तो ढाबे का मालिक मेरे साथ गये लोगों से वाद-विवाद करने लगा और उसके बाद ढाबा मालिक व उनके कर्मचारी तथा हम लोगों में मारपीट होने लगी। मारपीट के दौरान ढाबा मालिक जब ढाबे से बाहर भागा तो मैं व विशाल सिंह ढाबा से बाहर आकर ढाबा मालिक को मारने-पीटने लगे उसी बीच उसकी जेब से कुछ रुपये गिर गये जिसे मैंने व विशाल सिंह ने उठा लिये जिसका विरोध ढाबा मालिक व उसके पिता करने लगे तब हम लोग उनको मारपीट कर पैसा लेकर वहाँ से भाग गये थे।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

अक्षय सिंह उर्फ मोंटी सिंह पुत्र राजकुमार सिंह निवासी ग्राम भदवर थाना रोहनिया जनपद वाराणसी, उम्र करीब 35 वर्ष।

गिरफ्तारी दिनांक, समय व स्थान- दिनांक 23.02.2025 को समय करीब 12.50 बजे, मोहनसराय अखरी बाईपास हाईवे से ग्राम भदवर सड़क थाना रोहनिया कमि0 वाराणसी से।

आपराधिक इतिहास-

1- मु0अ0सं0 048/2025 धारा 109/309(6)/351(2) बी0एन0एस0 थाना रोहनिया कमि0 वाराणसी।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम का विवरण-

1- उ0नि0 राज दर्पण तिवारी थाना रोहनिया कमिश्नरेट वाराणसी।
2- उ0नि0 ऋतुराज मिश्र थाना रोहनिया कमिश्नरेट वाराणसी।
3- का0 बलवंत कुमार थाना रोहनिया कमिश्नरेट वाराणसी।

सोशल मीडिया सेल
पुलिस उपायुक्त
वरुणा जोन, कमिश्नरेट वाराणसी